बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय
पंत भवन, द्वितीय तल, बेली रोड, बिहार, पटना - 800001

सं०-01/दि०स०नि०(यो०)-22/2026 स.क.-606 पटना, दिनांक- 07.07.2026

प्रेषक,

उप निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,
बिहार, पटना।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन संपर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः- **दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2026 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने हेतु सूचना के प्रकाशन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना (सम्बल) अंतर्गत संचालित दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना संचालित है। इस योजना अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2026 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने हेतु सूचना का प्रकाशन किया जाना है।

अतः अनुरोध है कि संलग्न सूचना/विज्ञापन प्रारूप को प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापित करने की कृपा की जाय।

अनु०-विज्ञापन/सूचना प्रारूप की प्रति।

विश्वासभाजन
07-7-26
उप निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः-01/दि०स०नि००(यो०)-22/2026 स.क.-606 पटना, दिनांकः- 07.07.2026

प्रतिलिपिः-राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC), पटना/आई०टी० मैनेजर, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

07-7-26
उप निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः-01/दि०स०नि००(यो०)-22/2026 स.क.- 606 पटना, दिनांकः- 07.07.2026

प्रतिलिपिः-श्री यशपाल, प्रोग्रामर/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

07-7-26
उप निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,
बिहार, पटना।

https://state.bihar.gov.in/socialwelfare 0612-2200125 diremppd-bih@gov.in
Facebook.com/diremppd diremppd

बिहार सरकार
(समाज कल्याण विभाग)
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय
द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना

दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2026 में उत्तीर्ण बिहार राज्य के सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरूष दिव्यांग अभ्यर्थियों को योजना के लाभ से आच्छादित करने के लिए ऑनलाईन आवेदन।

आवश्यक सूचना

दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय (समाज कल्याण विभाग) द्वारा संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2026 में उत्तीर्ण बिहार राज्य के सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरूष दिव्यांग अभ्यर्थियों को एकमुश्त रू0 1,00,000/— (एक लाख) मात्र की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

1. **अहर्त्ता/शर्तेः—**
   - क. अभ्यर्थी बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
   - ख. अभ्यर्थी सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरूष दिव्यांग होने चाहिए।
   - ग. अभ्यर्थी की दिव्यांगता प्रतिशत न्यूनतम 40 या उससे अधिक होना चाहिए।
   - घ. अभ्यर्थी को संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2026 में उत्तीर्ण होना चाहिए।
   - च. अभ्यर्थी को दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का लाभ एक ही बार देय होगा अर्थात किसी अभ्यर्थी को इस योजना अंतर्गत दोनों प्रकार की सिविल सेवा परीक्षाओं (बिहार लोक सेवा आयोग, पटना एवं संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा) के प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर केवल एक बार ही प्रोत्साहन राशि देय होगा।
   - छ. पूर्व से किसी भी सरकारी/लोक उपक्रम/राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा वित्त संपोषित संस्थान की सेवा में कार्यरत या नियोजित अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ नही दिया जाएगा।
2. **आवेदन की प्रक्रियाः—**

   (क) दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन हेतु विनिर्दिष्ट पोर्टल https://bcebconline.bihar.gov.in/cspy/EBCscholarship/Index.aspx पर Login कर अभ्यर्थी द्वारा **दिनांक—10.07.2026 से 31.07.2026 तक** ऑनलाईन निबंधन एवं आवेदन समर्पित किया जा सकता है। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदन अमान्य समझे जायेंगे। किसी अन्य माध्यम से कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे एवं ऐसे आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।

   (ख) निबंधन हेतु अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य रूप से फोटो, हस्ताक्षर, प्रवेश पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति या कोटि प्रमाण—पत्र, आवासीय प्रमाण—पत्र, अद्यतन दिव्यांगता प्रमाण—पत्र/यू0डी0आई0डी0, आधार कार्ड एवं स्वयं के नाम से Active बैंक पासबुक (जिसमें खाता संख्या एवं बैंक आई0एफ0एस0सी0 स्पष्ट रूप से अंकित हों) या हस्ताक्षरित रद्द चेक (जिसमें आवेदक का नाम अंकित हो), की Scanned प्रति पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा। **अभ्यर्थी का आधार बैंक खाता से सीडेड (DBT के लिए) होना आवश्यक है। आधार सीडिंग बैंक खाता से आधार लिंक अलग चीजें हैं। जिनका भी बैंक अकाउंट आधार के साथ सीडेड नहीं है, उनको प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा। इसके साथ ही किसी भी सरकारी/लोक उपक्रम/राज्य सरकार द्वारा वित्त संपोषित संस्थान की सेवा में कार्यरत/नियोजित नहीं हैं तथा समाज कल्याण विभाग, बिहार या अन्य किसी विभाग के माध्यम से इस प्रकार की प्रोत्साहन राशि पूर्व में प्राप्त नहीं किया गया है, के संबंध में 1st Class Judicial Magistrate or Executive Magistrate के स्तर से निर्गत शपथ पत्र की Scanned प्रति पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा।**
3. अभ्यर्थी के पास सक्रिय ई—मेल आई0डी0 होना चाहिए। अभ्यर्थियों को आवश्यक सूचना उनकी ई—मेल आई0डी0 पर दी जाएगी। अभ्यर्थी अपनी ई—मेल को प्रक्रिया पूर्ण होने तक सक्रिय रखेंगे तथा अद्यतन सूचना के लिए अभ्यर्थी को अपनी ई—मेल नियमित रूप से देखने (चेक करने/अपडेटेड रहने) की अपेक्षा की जाती है।
4. ऑनलाईन माध्यम से आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को वांछित सूचनाएँ सही—सही—अंकित करनी होगी। इसमें किसी भी तरह की त्रुटि की जिम्मेवारी अभ्यर्थी की होगी।
5. यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा गलत सूचना देकर इस योजना के तहत अनुमान्य राशि प्राप्त की जाती है, तो उसके विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।

ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31.07.2026 की रात्रि 11:00 बजे तक होगी।

विस्तृत जानकारी https://state.bihar.gov.in/socialwelfare/CitizenHome.html पर देखी जा सकती है।

विशेष जानकारी के लिए दूरभाष सं0 0612—2200125 पर संपर्क किया जा सकता है।

निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,
बिहार।

(समाज कल्याण विभाग)

दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय

द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना

दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2026 में उत्तीर्ण बिहार राज्य के सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरूष दिव्यांग अभ्यर्थियों को योजना के लाभ से आच्छादित करने के लिए ऑनलाईन आवेदन।

आवश्यक सूचना

दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय (समाज कल्याण विभाग) द्वारा संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2026 में उत्तीर्ण बिहार राज्य के सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरूष दिव्यांग अभ्यर्थियों को एकमुश्त रू० 1,00,000/– (एक लाख) मात्र की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

1. **अर्हत्ता/शर्तेः–**

क. अभ्यर्थी बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।

ख. अभ्यर्थी सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरूष दिव्यांग होने चाहिए।

ग. अभ्यर्थी की दिव्यांगता प्रतिशत न्यूनतम 40 या उससे अधिक होना चाहिए।

घ. अभ्यर्थी को संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2026 में उत्तीर्ण होना चाहिए।

च. अभ्यर्थी को दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का लाभ एक ही बार देय होगा अर्थात किसी अभ्यर्थी को इस योजना अंतर्गत दोनों प्रकार की सिविल सेवा परीक्षाओं (बिहार लोक सेवा आयोग, पटना एवं संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा) के प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर केवल एक बार ही प्रोत्साहन राशि देय होगा।

छ. पूर्व से किसी भी सरकारी/लोक उपक्रम/राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा वित्त संपोषित संस्थान की सेवा में कार्यरत या नियोजित अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

2. **आवेदन की प्रक्रियाः–**

(क) दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन हेतु विनिर्दिष्ट पोर्टल https://bcebconline.bihar. gov.in/cspy/EBCscholarship/Index.aspx पर Login कर अभ्यर्थी द्वारा **दिनांक–10.07.2026 से 31.07.2026** तक ऑनलाईन निबंधन एवं आवेदन समर्पित किया जा सकता है। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदन अमान्य समझे जायेंगे। किसी अन्य माध्यम से कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे एवं ऐसे आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।

(ख) निबंधन हेतु अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य रूप से फोटो, हस्ताक्षर, प्रवेश पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति या कोटि प्रमाण–पत्र, आवासीय प्रमाण–पत्र, अद्यतन दिव्यांगता प्रमाण–पत्र/यू०डी०आई०डी०, आधार कार्ड एवं स्वयं के नाम से Active बैंक पासबुक (जिसमें खाता संख्या एवं बैंक आई०एफ०एस०सी० स्पष्ट रूप से अंकित हों) या हस्ताक्षरित रद्द चेक (जिसमें आवेदक का नाम अंकित हो), की Scanned प्रति पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा। **अभ्यर्थी का आधार बैंक खाता से सीडेड (DBT के लिए) होना आवश्यक है। आधार सीडिंग बैंक खाता से आधार लिंक अलग चीजें हैं। जिनका भी बैंक अकाउंट आधार के साथ सीडेड नहीं है, उनको प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा। इसके साथ ही किसी भी सरकारी/लोक उपक्रम/राज्य सरकार द्वारा वित्त संपोषित संस्थान की सेवा में कार्यरत/नियोजित नहीं हैं तथा समाज कल्याण विभाग, बिहार या अन्य किसी विभाग के माध्यम से इस प्रकार की प्रोत्साहन राशि पूर्व में प्राप्त नहीं किया गया है, के संबंध में 1st Class Judicial Magistrate or Executive Magistrate के स्तर से निर्गत शपथ पत्र की Scanned प्रति पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा।**

3. अभ्यर्थी के पास सक्रिय ई–मेल आई०डी० होना चाहिए। अभ्यर्थियों को आवश्यक सूचना उनकी ई–मेल आई०डी० पर दी जाएगी। अभ्यर्थी अपनी ई–मेल को प्रक्रिया पूर्ण होने तक सक्रिय रखेंगे तथा अद्यतन सूचना के लिए अभ्यर्थी को अपनी ई–मेल नियमित रूप से देखने (चैक करने/अपडेटेड रहने) की अपेक्षा की जाती है।

4. ऑनलाईन माध्यम से आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को वांछित सूचनाएँ सही–सही–अंकित करनी होगी। इसमें किसी भी तरह की त्रुटि की जिम्मेवारी अभ्यर्थी की होगी।

5. यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा गलत सूचना देकर इस योजना के तहत अनुमान्य राशि प्राप्त की जाती है, तो उसके विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।

ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31.07.2026 की रात्रि 11:00 बजे तक होगी।

विस्तृत जानकारी https://state.bihar.gov.in/socialwelfare/CitizenHome.html पर देखी जा सकती है।

विशेष जानकारी के लिए दूरभाष सं0 0612–2200126 पर संपर्क किया जा सकता है।

निदेशक

PR- 007273 (SWD) 2026-27 **दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार**

उक्त सूचना state.bihar.gov.in/prdbihar से प्राप्त की जा सकती है।

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।